



स्नातक/तकनीकी एप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु सूचना

शासकीय/शासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कालेजों से वर्ष 2016 से 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से एक वर्ष के एप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं ।

तदनुसार सागर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जिलो(सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़) में निम्नानुसार स्नातक/तकनीकी एप्रेन्टिस प्रशिक्षण किया जाना है :-

क्रमांक	श्रेणी	प्रशिक्षण हेतु एप्रेन्टिस			
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	सामान्य	कुल योग
1	स्नातक	1	1	5	7
2	तकनीकी	2	3	11	16

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-

(अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा भारतीय संसद से प्राधिकृत किसी संस्थान से विद्युत यांत्रिकी/तकनीकी संकाय में स्नातक अथवा समतुल्य ।

(ब) किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक कालेज से विद्युत यांत्रिकी/तकनीकी में डिप्लोमा ।

2. चयन प्रक्रिया:-

प्राप्त आवेदनों में से आवेदक को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों एवं प्रावीण्य सूची के आधार पर आवश्यकतानुसार उम्मीदवारों को एप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा ।

3. प्रशिक्षण:-

चयनित एप्रेन्टिस आवेदकों को उपरोक्त जिलो में स्थित किसी कार्यालय में मात्र एक वर्ष का एप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा ।

4. शिष्यवृत्ति:-

1. स्नातक एप्रेन्टिस को रुपये 4984/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जावेगी ।

2. तकनीकी एप्रेन्टिस को रुपये 3542/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जावेगी ।

5. सामान्य शर्त:-

(अ) प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को एप्रेन्टिस नियमों के अनुसार आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी ।

(ब) उम्मीदवारों का चयन/प्रशिक्षण हेतु NATS रजिस्ट्रेशन क्रमांक होना आवश्यक है । अन्य कार्मिक कार्यवाहियाँ शासन के एप्रेन्टिस नियमों के अनुसार की जावेगी । एप्रेन्टिस नियमों के संबंध में अधिक जानकारी/शंका समाधान हेतु शासन की वेबसाइट www.apprentice-engineer.com का अवलोकन किया जा सकता है ।

6. इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र(नाम/पिता/पति का नाम/NATS रजिस्ट्रेशन क्रमांक/संवर्ग/जन्मतिथि/गृह तहसील/पत्र व्यवहार का पूरा पता/ई-मेल पता/मोबाइल नं./शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता का पूरा विवरण लिखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 31.3.2018 तक जाति प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित आवश्यक रूप से डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

7. आवेदन प्रेषित करने का पता:- मुख्य अभियंता(सागर क्षेत्र), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., नरसिंहपुर रोड, सागर(म.प्र.)470004